



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

(जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला)

(फोन एवं फ़ैक्स: 0291-2943451; ई-मेल आईडी: dlsn24jodhpurdistrict@gmail.com
dlsn24jodhpurdistrict@rajasthan.gov.in)



क्रमांक :-पैनल अधि./2026/58

दिनांक :- 15.06.2026

सूचना

माननीय सदस्य सचिव, रालसा जयपुर द्वारा अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किए जाने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-1/373 दिनांक 27.05.2026 जारी की गयी जो कि इस कार्यालय के क्रमांक 87-106 दिनांक 30.05.2026 द्वारा प्रेषित की गई है। इसी क्रम में रालसा, जयपुर के पत्रांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/15847-15890 दिनांक 13.06.2026 के निर्देशानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 10.07.2026 सांय 5:00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

(डॉ. मनीष हरजाई)

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

जोधपुर जिला।

दिनांक :- 15.06.2026

क्रमांक :-पैनल अधि./2026/3029-3048

प्रतिलिपि निम्न को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर जिला।
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर।
6. श्रीमान् अध्यक्ष, बार अधिवक्ता संघ बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां जरिये श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां।
7. श्रीमान् अध्यक्ष, बार अधिवक्ता संघ भोपालगढ़ जरिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला।
9. वरिष्ठ मुन्सरिम, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला।
10. श्रीमान् अध्यक्ष मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय (श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला)।
11. श्रीमान् दीनदयाल पुरोहित, सदस्य मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय (अधिवक्ता जोधपुर जिला)।
12. अध्यक्ष/सदस्य मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां जरिये श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां।
13. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय जोधपुर जिला को पालनार्थ एवं विज्ञप्ति एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र का ऑनलाईन लिंक पृथक से जोधपुर जिला न्यायालय की वेबसाईट जोधपुर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय/कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीष हरजाई)

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

जोधपुर जिला।



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला
(जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला)

(फोन एवं फैक्स: 0291-2943451; ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com
dlsa24jodhpurdistrict@rajasthan.gov.in)



क्रमांक :-पैनल अधि./2026/81-106

दिनांक :- 30.05.2026

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्य सचिव, रालसा जयपुर का पत्रांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै. अधि./DS-I/13661-13662 दिनांक 27.05.2026 द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों/मंचों में नाल्सा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम 2010 के विनियम 8 के अधीन अपनी सक्षम विधिक सेवाएं देने के लिए अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किए जाने हेतु रालसा, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/373 दिनांक 27.05.2026 जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योग्य अधिवक्तागण द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन फॉर्म का प्रिन्ट निकालकर उसकी हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को सांय 05:00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। इच्छुक आवेदकों को ऑनलाईन लिंक माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला की वेबसाईट (<https://jodhpur.dcourts.gov.in/>) पर प्रेषित किया गया है। उक्त विज्ञप्ति निम्नांकित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु एवं सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर जिला।
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर।
6. श्रीमान् अध्यक्ष, बार अधिवक्ता संघ बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां जरिये श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां।
7. श्रीमान् अध्यक्ष, बार अधिवक्ता संघ भोपालगढ़ जरिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला।
9. वरिष्ठ मुन्सरिम, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला।
10. श्रीमान् अध्यक्ष मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय (श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला)।
11. श्रीमान् दीनदयाल पुरोहित, सदस्य मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय (अधिवक्ता जोधपुर जिला)।
12. अध्यक्ष/सदस्य मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां जरिये श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा/बालेसर/ पीपाड़/औसियां।
13. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय जोधपुर जिला को पालनार्थ एवं विज्ञप्ति एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र का ऑनलाईन लिंक पृथक से जोधपुर जिला न्यायालय की वेबसाईट जोधपुर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(पूरण कुमार शर्मा)

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
जोधपुर जिला।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900)

E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/ 373

दिनांक :- 27/5/2026

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुक स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों एवं अधिकरणों में प्रेक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक सेवा/योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु "पैनल अधिवक्ता" के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पात्रता :-

प्रत्येक विधि व्यवसायी या अधिवक्ता, जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम लगातार तीन वर्षों का विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का अनुभव रखता हो।

नोट :-

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
2. पैनल (1) दाण्डिक (2) सिविल (3) राजस्व एवं (4) बाल न्यायालय/जे.जे.बी./पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी. वर्ग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा पृथक-पृथक तैयार किए जाएंगे।
3. सिविल पैनल में सभी सिविल प्रकृति के वाद एवं निष्पादन कार्यवाही, एमएसीटी क्लेम, वैवाहिक विवाद, किराया नियंत्रण अधिनियम, श्रम व नियोजन संबंधी विवाद, औद्योगिक विवाद, पर्यावरण संबंधी विवाद, वाणिज्यिक विवाद, रेल दावे के वाद, कर संबंधी विवाद, जेडीए, वक्फ बोर्ड संबंधी, उपभोक्ता मंच, सेवा संबंधी मामले, सहकारित वाद, गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण, परिवहन अधिकरण, परिवहन अधिकरण संबंधी वाद तथा सभी न्यायालय/अधिकरण/मंच में लम्बित अन्य दीवानी प्रकृति के वाद शामिल रहेंगे।
4. दाण्डिक पैनल में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के वाद, घरेलू हिंसा, परक्राम्य लिखत अधिनियम, पीसीपीएनडीटी, एसीडी न्यायालय, एनडीपीएस न्यायालय, सीबीआई न्यायालय से संबंधित मामले तथा अन्य सभी आपराधिक प्रकरण सम्मिलित हैं।
5. आवेदक द्वारा ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यपित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो, परन्तु इसके अन्तर्गत -

(क) धारा-13बी, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के आदेश, जुर्म स्वीकारोक्ति से हुए निर्णय/आदेश, जमानत प्रार्थना-पत्रों पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों, पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों को समाहित नहीं किया जाएगा, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्रों पर दिया गया अंतिम आदेश विचारार्थ उपयुक्त होगा।

(ख) 05 निर्णय/ अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में राजीनामों से निस्तारित अधिकतम 02 प्रकरणों के निर्णय/ आदेश/ अवॉर्ड विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।

(ग) 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में जमानत प्रार्थना पत्रों पर दिए गए अधिकतम 02 आदेश विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।

(घ) यदि निर्णय या आदेश में आवेदक के स्थान पर उसके वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, तो उस स्थिती में यदि उस पत्रावली के वकालतनामों पर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर अंकित है और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सादे कागज पर यह प्रमाणित किया जाता है की बहस में उसके साथ आवेदक के द्वारा भी भाग लिया गया था, तो उस अंतिम आदेश को भी 05 निर्णय की संख्या में समाहित माना जावेगा।

- (ड) यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय/अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा वे एक से अधिक प्राधिकरण/समिति के समक्ष आवेदन कर रहे हैं व ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा अन्य प्राधिकरण/समिति के समक्ष पेश की जा चुकी है, तो उन्हें ऐसे निर्णय/ अंतिम आदेश की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनुमति दी जा सकेगी।
- (च) यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय /अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् वे स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि के साथ-साथ एक स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की शर्त पर, चयन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त, सत्यापित प्रतिलिपि लौटाई जा सकेगी।
6. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
 7. पैनल अधिवक्तागण को वितरित किए जाने वाले कार्यों की संख्या के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए पैनल अधिवक्तागण की संख्या नियत की गई है, जिसकी जानकारी संबंधित प्राधिकरण/समिति से प्राप्त की जा सकती है। पैनल में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का यथा संभव अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
 8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) शोधन विनियम, 2018 के विनियम 8 के खण्ड (6) के अनुसार पैनल में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांग वकीलों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ध्यान रखा जायेगा।
 9. पैनल बनाते समय यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन योग्य पाए जाते हैं, जो प्राप्त आवेदनों में से यथासंभव अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्तागण का चयन किया जाएगा तथा यदि 02 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।
 10. रिटेनर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस में बैठकर विधिक सेवा प्रदान करने हेतु तैयार व तत्पर होना होगा।
 11. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध करवायेगा और किसी भी ऐसे प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें उसके द्वारा विपक्षी पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गई हो।
 12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 एवं इस संबंध में राज्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पैनल अधिवक्तागण को मानदेय एवं अन्य खर्च देये होंगे।
 13. आवेदक इस तथ्य की अण्डरटेकिंग देगा कि वह पैनल /रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किए जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाये गए नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करेगा। पैनल /रिटेनर अधिवक्ता के रूप में, जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किए जावेंगे, वह उन संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा और न ही प्राप्त करेगा।
 14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं उनके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
 15. यदि नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या उसके द्वारा अधिनियम और विनियम के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता

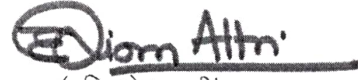
है, तो उससे उसको सौंपा गया कार्य/मामला वापस लिया जा सकेगा और साथ ही किसी भी समय बिना नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी और उसके प्रति कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी।

16. नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण/समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक रहेगा।
17. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज:-

1. बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति;
2. अनुभव प्रमाण-पत्र;
3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो;
4. यदि आवेदक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
5. जन्म दिनांक प्रमाण
6. अन्य उचित दस्तावेज व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

आज्ञा से



(हरि ओम अत्री)

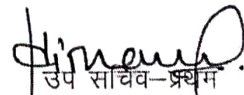
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/13663-680 दिनांक :- 27/05/2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी., राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ-समस्त न्यायालय/अधिकरण/मंच, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
8. नोटिस बोर्ड, समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय / समस्त न्यायालय / तालुका विधिक सेवा समिति/अधिकरण/ मंच
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. वेबसाइट, रालसा/ जिला न्यायालय, समस्त राजस्थान



उप सचिव-प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

(जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला)

(फोन एवं फैक्स: 0291-2943451; ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com
dlsa24jodhpurdistrict@rajasthan.gov.in)



क्रमांक :-पैनल अधि./2026/58

दिनांक :- 30.05.2026

सूचना

माननीय सदस्य सचिव, रालसा जयपुर का पत्रांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै. अधि./DS-I/1366-13662 दिनांक 27.05.2026 द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों/मंचों में नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम 2010 के विनियम 8 के अधीन अपनी सक्षम विधिक सेवाएं देने के लिए अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किए जाने हेतु रालसा, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/373 दिनांक 27.05.2026 जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो कि इस कार्यालय के क्रमांक 87-106 दिनांक 30.05.2026 द्वारा प्रेषित की गई है। उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने हेतु माननीय रालसा, जयपुर द्वारा प्रेषित लिंक **माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला की वेबसाइट (<https://jodhpur.dcourts.gov.in/>)** पर उपलब्ध है। आवेदनकर्ता उक्त लिंक के माध्यम से आवेदन करते समय निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:-

Steps to Copy this Link in google drive:

1. Open the above link and request access to it.
2. Make a copy of the form in your Google Drive.
3. Replace the "District Legal Service Authority" heading with your district's name.


(डॉ. मनीष हरजाई)

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
जोधपुर जिला।

क्रमांक :-पैनल अधि./2026/107-125

दिनांक :- 30.05.2026

प्रतिलिपि निम्न को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर जिला।
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर।
6. श्रीमान् अध्यक्ष, बार अधिवक्ता संघ बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां जरिये श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां।
7. श्रीमान् अध्यक्ष, बार अधिवक्ता संघ भोपालगढ़ जरिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला।
9. वरिष्ठ मुन्सरिम, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला।
10. श्रीमान् अध्यक्ष मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय (श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला)।
11. श्रीमान् दीनदयाल पुरोहित, सदस्य मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय (अधिवक्ता जोधपुर जिला)।
12. अध्यक्ष/सदस्य मॉनेटरिंग एवं परामर्शदात्रि समिति जोधपुर जिला मुख्यालय बिलाड़ा/बालेसर/पीपाड़/औसियां जरिये श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा/बालेसर/ पीपाड़/औसियां।
13. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय जोधपुर जिला को पालनार्थ एवं विज्ञप्ति एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र का ऑनलाईन लिंक पृथक से जोधपुर जिला न्यायालय की वेबसाइट जोधपुर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रेषित करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. मनीष हरजाई)

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
जोधपुर जिला।